

राजा मे,

जी मान लोक सूचना अधिकारी

MIC

1457

कार्यालय:- दिल्ली पुलिस उपायुक्त

MAX

RIP

MNO

APRIL

2017

17311

17-1-17

(नई दिल्ली जिला):-

पुलिस थाना, संसद मार्ग, नई दिल्ली-1.

विषय:- सूचनाका अधिकार अधिनियम-2005 के तहत सूचना प्रदान कराने हेतु पत्र

महोदयजी,

हमें आप के नई दिल्ली जिला क्षेत्र के अन्तर्गत आनेवाला पुलिस थाना -
मन्दिर मार्ग, नई दिल्ली-1 से जुड़ी निम्नीलिखित सूचनायें उपलब्ध कराने का वाक्य कर

हमारे द्वारा मांगी सूचनायें इस प्रकार निम्नीलिखित क्रमानुसार हैं।

(I) नाम:- सत्यवान, पुत्र:- स्व. जी. बालुराम, पता:- दुर्गा मन्दिर, ब्लाक न. 25/25, लडा-
हॉस्टल, एस्पताल, कैम्पस, पी. के. रोड, नई दिल्ली-110001. व 25/25, ल. हा. ए. कैम्पस
पी. के. रोड, नई दिल्ली-1. से जुड़ी सूचनायें उपलब्ध कराये।

(II) नाम:- सत्यवान, पुत्र स्व. जी. बालुराम, F.I.R. No. 508/वा, दिनांक:- 27/06/17
पं. 307/उप, I.P.C. पुलिस स्टेशन पहाड़ गंज, नई दिल्ली (जिला:- मध्य दिल्ली)

(III) F.I.R. No 508/वा, दिनांक:- 27/06/17, पं. 160, I.P.C. पुलिस स्टेशन मन्दिर मार्ग
नई दिल्ली-1. (जिला नई दिल्ली)

(IV) F.I.R. No 71/71, दिनांक:- 27/06/17, पं. 160, I.P.C. पुलिस स्टेशन मन्दिर-
मार्ग, नई दिल्ली-1. (जिला:- नई दिल्ली)

महोदयजी हमें इन तीनों F.I.R. की प्रतिलिपियां उपलब्ध करवाएं।
सत्यापित करा के उपलब्ध कराये।

(क) सत्यवान, पुत्र:- स्व. जी. बालुराम पर आप के अन्तर्गत आनेवाले जिला व
थाना में इस व्यक्ति को कब-कब और कान-कान से थाना में गिरफ्तार किया
गया। पूर्ण विवरण सहित उपलब्ध कराये।

(I) सत्यवान को गिरफ्तार की तारीख-सं, व F.I.R. व कान-कान से थाना में
के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया? पूर्ण विवरण सहित उपलब्ध कराये।

(II) आप के क्षेत्र व अन्य क्षेत्र से कब-कब गिरफ्तार किया गया है जैसा कि पूर्ण
दिल्ली से व अन्य राज्य से भी गिरफ्तार किया गया है या कोई जानकारी है तो

अहलाल

पूर्ण विवरण सहित बतायें?

इन तीनों कैशे के अलावा कभी भी - सन १९८७ तक भी गिरफ्तार किया गया है तो विवरण सहित उपलब्ध कराएँ।

हमारे द्वारा मांगी गई कोई भी सूचना..... सूचना का अधिचार अधिनियम - १९८७ का धारा - ४(१) के तहत नहीं आती। इस लिए बिना वारण सूचना देने से मना किया नहीं जा सकता। क्योंकि हमारे द्वारा मांगी गई कोई भी सूचना से देश व अखण्डता व जांच एवं सुरक्षा व सप्ताचार एवं मानवाधिकार इन से सम्बन्धित नहीं है।

यदि हमारे द्वारा मांगी गई सूचना आप के विभाग/कार्यलय से सम्बन्धित नहीं होती आप सूचना का अधिचार अधिनियम - १९८७ का धारा - ४(१) का संज्ञान लेते हुए हमारे आवेदन पर जो सम्बन्धित विभाग को पाँच (५) दिनों के समावाची के अन्तर्गत हस्तांतरित करें। साथ ही अधिनियम के प्रावधानों के तहत सूचना उपलब्ध कराएँ। समय प्रथम अपील - अधिचारी का नाम, पता, फोन नं. मो. नं. उपलब्ध कराएँ। व मित्रम अनुसूचक में भी सूचित करें।

आपका हमारे द्वारा मांगी गई सभी सूचनाओं हमारे राष्ट्रीय मावा अधिनियम के दिखाने व सत्यापित करा कर दी जायें। व जिस प्रकार हमने क्रमानुसार सूचना मांगी है उसी प्रकार से आप भी एक-एक क्रमानुसार ही सूचनाओं उपलब्ध कराएँ। व कोई भी सूचना व बसाइड पर बता कर अपना पत्ता न छोड़ा जायें। क्योंकि आवेदन को कम्प्यूटर का ज्ञान नहीं है।

नोट:- धारा - ५, के अन्तर्गत हमारे द्वारा मांगी गई सभी सूचनाओं - (सी. डी. पी. ए. २) द्वारा ही प्रदान की जायें।

हम इस आवेदन पर के साथ आवेदन शुल्क - रु. ५० (५०) रुपये, भारतीय डाक पोस्टल ऑर्डर संख्या :- ३६९ १९३०५४ द्वारा भेज रहे हैं। जिसे हम बिना किसी नाम से भेज रहे हैं। क्योंकि जिसके नाम से आप चाहते हैं वो स्वयं ही भर लेना है।

सभी सूचनाओं समावाची में ही उपलब्ध कराएँ। क्रमानुसार ही सूचनाओं उपलब्ध कराएँ।

धन्यवाद!
आवेदक - अनिल लाल

नाम:- एम. एल. कश्यप २७/०६/२०१७

पता:- बी-५/१, गली नं. २०, मेन माविट,

मजनपुरा, दिल्ली-५३.

फोन नं. ९८१०८५५५२७ - ७२०६६७००५४